रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022021-225532
CG-DL-E-27022021-225532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2021/फाल्गुन 7, 1942
No. 100] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2021/PHALGUNA 7, 1942

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2021

सा.का.नि.141 (अ).— केंद्रीय सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा-20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सतर्कता आयोग में ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सतर्कता आयोग (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव)भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद है या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	3* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 12, (78,800 – 2,09,200/- रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति :- केंद्रीय सतर्कता आयोग में ऐसे ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव जिन्होंने स्तर 11 (67,700 – 2,08,700/- रु.) में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति** : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी:- (i). जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

IndiaCode

(ii). जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700 – 2,08,700/- रु.) में ऐसे प्रधान निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग – **अध्यक्ष;** 2. अपर सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग - **सदस्य;** 3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – **सदस्य।**	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 399/13/2019-एवीडी- III]

मनमीत कौर, उप सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2021

G.S.R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Principal Private Secretary in the Central Vigilance Commission, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Vigilance Commission (Senior Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay level in the pay matrix.– The number of posts, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc,.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age Limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Principal Private Secretary	3* (2021) * Subject to variation depending on workload.	Not applicable.	Level 12 (₹ 78,800-2,09,200/-).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probations if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a departmental promotion committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: From amongst the Principal Private Secretary in the Central Vigilance Commission in level 11 (₹ 67,700 – 2,08,700/-) with five years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central	**Departmental promotion Committee for considering promotion consisting of-** i) Secretary, Central Vigilance Commission -Chairman; ii) Additional Secretary, Central Vigilance Commission - Member; iii) Additional Secretary / Joint Secretary, Department of Personnel and Training – Member.	Not applicable.

Government or State Governments or Union Territory Administration:- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With five years' regular service in the grade of Principal Private Secretary in level 11(₹ 67,700 – 2,08,700/-) of the pay matrix. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

IndiaCode

[F. No. 399/13/2019-AVD-III]

MANMEET KAUR, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.02.27 12:19:16 +05'30'